

NHB(ND)/ROD/RRB/Refinance Circular 5/2014-15
Dated : 22-12-2014 ✓



To All Regional Rural Banks ✓

Madam / Sir,

Refinance Circular No. 5/2014-15
Rural Housing Fund - Increase in Tenure

1. Increase in Tenure

The maximum tenure of refinance extended under the Rural Housing Fund (RHF) have been increased with immediate effect. The revised tenure of refinance disbursements made under the Rural Housing Fund on or after the date of this circular, will be as under :

| | Original | Revised |
|----------------|----------|-----------|
| Minimum Tenure | 3 years | No change |
| Maximum Tenure | 7 years | 10 years |

Thus, refinance under the Rural Housing Fund will be available to the RRBs for maximum tenure of 10 years at fixed rate of interest without any reset.

2. All other terms and conditions under the Rural Housing Fund refinance scheme as applicable to Regional Rural Banks as communicated from time to time shall continue to be applicable.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(V. Vaideswaran)
Deputy General Manager
Refinance Operations



एनएचबी(एनडी)/आरओडी/आरआरबी/पुनर्वित्त परिपत्र 5/2014-15

दिनांक: 22-12-2014

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को,

महोदया / महोदय,

पुनर्वित्त परिपत्र सं. 5/2014-15
ग्रामीण आवास निधि - कार्यकाल में वृद्धि

1. कार्यकाल में वृद्धि

ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) के तहत प्रदत्त पुनर्वित्त के अधिकतम कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से बढ़ाया गया है। इस परिपत्र की तिथि को अथवा तत्पश्चात् ग्रामीण आवास निधि के तहत पुनर्वित्त संवितरणों का संशोधित कार्यकाल यथा निम्नानुसार होगा:

| | मूल | संशोधित |
|------------------|--------|-------------------|
| न्यूनतम कार्यकाल | 3 वर्ष | कोई परिवर्तन नहीं |
| अधिकतम कार्यकाल | 7 वर्ष | 10 वर्ष |

इस प्रकार, बिना किसी पुनर्निर्धारण के ब्याज की स्थिर दर पर अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के लिए ग्रामीण आवास निधि के तहत पुनर्वित्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबीज़) को उपलब्ध होगा।

2. ग्रामीण आवास निधि पुनर्वित्त योजना के तहत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये यथा लागू और समय समय पर यथा संसूचित अन्य सभी नियम व शर्तें लागू रहेंगे।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

(वी. वैदेश्वरन)

उप महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन